न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 117/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री केसराराम जाति नायक निवासी 6 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गुरपालसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 6 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता
2. श्री श्योपतराम अधिवक्ता प्रार्थी
3. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 29.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 6 एल.सी. के नाम से चक 6 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 62 की 25.00 बीघा बारानी भूमि आवंटित हुई है जो कि फर्जी कार्यवाही कर अलाटमेंट करवाई गई है। गुरपाल सिंह नाम का चक 6 एल.सी. में करीब 20–25 साल से कोई आदमी नहीं रह रहा है और ना ही अभी चक में ही देखा गया है। दरअसल में तारूराम पुत्र अमृतराम जाति ब्राहम्ण न ही गुरपाल सिंह नाम से फर्जी अलाटमेंट कार्यवाही कर उपरोक्त रकबा अलाटमेंट करवाया है और उसने उक्त रकबा का एक फर्जी मुखत्यारनामा आम गुरपाल सिंह से दिया हुआ लिखा रहा है जबकि गुरपाल सिंह नाम का न ही कोई आदमी है और न ही तारूराम को गुरपाल सिंह ने कोई मुखत्यारनामा आम दिया हुआ है और मुखत्यारनामा भी कोई रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार साहब द्वारा नहीं है। तारूराम को ज ब यह पता चला कि उक्त रकबा किश्त जमा ना होने से रकबा रिज्युम किया जा रहा है तब उसने अप्रेल 1991 में मिलीभगत कर एक मुश्त राशि तारूराम ने जमा करवाई है जबकि अलाटमेंट के आधार पर तारूराम का अलाटमेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त रकबा गुरपाल सिंह अलाटी ने कभी भी काश्त नहीं किया है और ना ही कभी चक में आबाद रहा है और ना ही अब मौका पर कोई रह रहा है। इस जमीन का तारूराम ही नाजायज तरीके से लाभ उठाता रहा है उक्त रकबा के आलावा भी तारूराम तीन चार मुरब्बे और भी इसी तरह नाजायज काश्त कर रहा है जबकि इसे अलाटमेंट नहीं है और ना ही उक्त रकबा आलाटियों का पता है। उक्त रकबा से सम्बन्धित सही जांच करवाई जावें तो ऐसे नाजायज काश्त रकबा और भी काफी चक में मिलेगा जो कि भूमिहीन अज्ञात लोगो के नाम से अलाटमेंट तारू राम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ने ही करवा रखे है। अतः अन्तर्गत धारा 11/14 राज0 कोलोनाईजेशन एक्ट पेश कर निवेदन है कि चक 6 एल.सी. के मुरब्बा नम्बर 62 जो कि फर्जी व धोखाधड़ी गुरपाल सिंह के नाम से तारूराम ने अलाटमेंट करवाया है और नाजायज फायदा उठाता रहा है इस रकबा को गुरपाल सिंह के नाम से अलाटमेंट खारिज किये जाने का आदेश दिया जावें।

अप्रार्थी ने दिनांक 09.09.1999 जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली में उपलब्ध है के अनुसार अप्रार्थी को चक 6 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नम्बर 62 में 25.00 बीघा रकबा अलाट किया गया है लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि अलाटमेंट की कार्यवाही गलत की गई है। अप्रार्थी यहां का रहने वाला है तथा उसका राशन कार्ड वा वोटरलिस्ट बना हुआ है। अलाटमेंट की तमाम कार्यवाही गुरपाल सिंह स्वयं ने की है तथा गुरपाल सिंह अपनी इच्छा तथा अपनी रजामन्दी से मुखत्यारआम तारूराम को दिया हुआ है। मुखत्यारनामा देने में कोई कानूनी रूकावट नहीं है तथा यह कहना सरासर गलत है कि मुखत्यारनामा रजिस्टर्ड ना हो। अलाटमेंट की समस्त किश्ते भी मुझ गुरपाल सिंह ने जमा करवाई है तथा गुरपाल सिंह खुद काश्त करता है तथा गुरपाल सिंह खुद यहां रहता है। प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा इस अलाटमेंट के सम्बन्ध में अपील कर रखी है। इसलिए यह दरखास्त चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी का बहुत ही पुराना कब्जा है इसलिए कानूनी रकबा खारिज नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का संधारण दिनांक 09.11.1992 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 01.07.1997 में अकन किया हुआ है कि जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27.05.1997 से शिकायत पत्रावलीयां की सुनवाई जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जानी है। अतः पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को मुन्तकिल की गई। आदेशिका दिनांक 23.08.1997 द्वारा कार्य विभाजन पर पत्रावली दिनांक 03.02.1998 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के पंजीबद्व हुआ। पत्रावली जिला कलक्टर, महोदय श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पंजीबद्व की जाकर पेशी में ली गई।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 23.08.1997 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/97/898 दिनांक 17.03.1997 जो कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रेषित की गई है में अंकित किया कि चक 6 एल.सी. का मुरब्बा नम्बर 62 का नया 65 की 25.00 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 16.11.1996 को मय फसल प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र केसराराम जाति नायक को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.08.1996 की पालना में सम्भलाया गया था। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 6 एल.सी. का निवासी ना हो। जबकि उक्त शिकायत में आवंटित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन अपील का निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 21.08.1996 को शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पुत्र केसराराम के पक्ष में होने पर तहसीलदार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

५

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रायसिंहनगर द्वारा चक 6 एल.सी. का मुरब्बा नम्बर 62 का नया 65 की 25.00 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 16.11.1996 को मय फसल प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र केसराराम जाति नायक को सौंप दिया है। शिकायत के बिन्दु का निस्तारण वर्ष 1996 में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21.08.1996 द्वारा हो चुका है। अतः शिकायत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत का मुख्य बिन्दु है कि अप्रार्थी गुरपाल सिंह चक 6 एल.सी. का निवासी नहीं है उसे जो भूमि आवंटित की गई वह गलत तथ्यों के आधार पर की गई है जबकि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 6 एल.सी. का निवासी ना हो। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रायसिंनगर की रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/ 97/898 दिनांक 17.03.1997 में अंकित किया कि चक 6 एल.सी. का मुरब्बा नम्बर 62 का नया 65 की 25.00 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 16.11.1996 को मय फसल प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र केसराराम जाति नायक को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.08.1996 की पालनाा में सम्भलाया गया था। शिकायत में अंकित भूमि अप्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 6 एल.सी. के नाम से आवंटन निरस्त होने पर शिकायत में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्री गंगानगर।

अति जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner